

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :- क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक: 3.10.2012

जिला कलक्टर,
(समस्त) राजस्थान

विषय:-प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012- नियमन शिविर के आयोजन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 21 नवम्बर, 2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" चलाया जायेगा। अभियान के दौरान शिविर अवधि दिनांक 21.11.2012 से 25.12.2012 तक होगी लेकिन अभियान का फोलोअप कार्य प्रत्येक नगर निकाय के कार्यालय में 25.12.2012 के पश्चात् भी 31.03.2013 तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा प्रत्येक वार्ड अथवा वार्डों के समूह के लिए शिविर आयोजित किये जायेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके भूखण्डों का नियमन कर पट्टे जारी करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना है।

अभियान के दौरान प्रक्रिया को सरल बनाने एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु सम्बन्धित नियमों/विनियमों/परिपत्रों एवं आदेशों में वर्णित प्रावधानों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रस्ताव राज्य मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे। आज दिनांक 03.10.2012 को मंत्रिमण्डल द्वारा उक्त प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। सम्बन्धित नियमों/विनियमों/परिपत्र एवं आदेशों में वर्णित प्रावधानों में शिथिलन प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश एवं परिपत्रादेश आदि शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

अभियान में अधिकाधिक कार्यों का निष्पादन हो सके इस दृष्टि से अभियान पूर्व की तैयारी प्रभावी ढंग से किया जाना अपेक्षित है। अभियान पूर्व की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा नगरीय निकायों को सहयोग करने हेतु डेडिकेटेड सलाहकार नियुक्त किये जा चुके हैं। इन डेडिकेटेड सलाहकारों द्वारा पी.टी.सर्वे का कार्य ले-आउट प्लान तैयार करने से सम्बन्धित कार्य, भूखण्डों के नियमितिकरण एवं पट्टा जारी करने हेतु पत्रावलियों तैयार करने आदि के कार्य सम्पादित किये जायेंगे। नियुक्त किये गये सलाहकारों को प्रभावी ढंग से कार्यों पर नियोजित किये जाने की आवश्यकता है। अतः आप अभियान पूर्व की तैयारी के सम्बन्ध में आपके जिले के सभी स्थानीय निकायों/न्यास एवं आवासन मण्डल के अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक आयोजित करने का श्रम करें। अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न की जा रही है। बैठक में स्थानीय निकायों एवं न्यास आदि द्वारा अभियान के सम्बन्ध में अब तक की गयी तैयारी का आकलन किया जावे एवं आगे किये जाने वाले कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को मार्ग-दर्शन प्रदान करने का श्रम करें। साथ ही आपके जिले में आयोजित किये जाने वाले शिविरों की तिथि एवं


शिविरों के आयोजन हेतु किये जाने वाले आवश्यक इन्तजामात बाबत विस्तृत रूप-रेखा तैयार कर ली जावे।

डेडिकेटेड सलाहकारों को मौके पर सर्वे आदि के कार्य के लिए राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता रहेगी एवं इनके द्वारा तैयार किये गये मानचित्र (Lay-out Plan) में वर्णित खसरा नम्बर आदि के प्रमाणीकरण हेतु पटवारियों/गिरदावरो के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। इसलिए नगरपालिका/परिषद/निगम क्षेत्र से संबंधित पटवारियों एवं गिरदावरो को सम्बन्धित नगरीय निकाय में प्रतिनियुक्त कर दे या पटवारी एवं गिरदावरो को स्थानीय निकायो से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य करने हेतु तत्काल निर्देश दिये जावे ताकि वे डेडिकेटेड सलाहकारों को मौके पर सर्वे के लिए राजस्व रिकॉर्ड संबंधी समस्त सूचनाएं मांग किये जाने पर तत्काल उपलब्ध करा सके एवं वांछित सहयोग प्रदान करें। पटवारी एवं गिरदावर को अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य भत्ता दिये जाने हेतु आदेश पृथक से प्रसारित किये जा रहे है।

अभियान के दौरान सात अन्य विभाग यथा - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य भी इस अभियान में किये जायेंगे जिनकी सूची संलग्न है। इस अभियान में अन्य विभागों के कार्य के बारे में गत अभियानों की तुलना में यह भिन्नता रहेगी कि नगर निकायो के अलावा अन्य विभाग अपने कार्यों का निष्पादन नगर निकायो द्वारा आयोजित शिविरों में नहीं करेगें बल्कि अपने स्थानीय कार्यालय में या उनके द्वारा निर्धारित/चिन्हित स्थान पर करेगें। अतः अभियान की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली बैठकों में आप संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आमंत्रित कर अभियान की तैयारी हेतु उचित निर्देश देने का श्रम करें।

अभियान की सफलता अभियान पूर्व की तैयारियों पर पूर्णतः निर्भर रहेगी। अतः अभियान पूर्व की तैयारियों की पाक्षिक समीक्षा हेतु निरन्तर बैठके आयोजित की जाकर अभियान के दौरान सम्पादित किये जाने वाले कार्यों हेतु सम्पूर्ण तैयारियों सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आप द्वारा की गयी तैयारी एवं बनायी गयी कार्य योजना से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत कराया जावे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा/उर्जा/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक महिला एवं बाल महिला विकास, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।


 उप शासन सचिव - द्वितीय

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों की सूची :-

1. कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन और पट्टे जारी करना
2. विभिन्न विभागों यथा रीको, राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का नियमितिकरण।
3. अनुमोदित आवासीय योजनाओं के भूखण्डों के पट्टे जारी करना
4. एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना
5. खांचा भूमि का आवंटन
6. कच्ची बस्ती के नियमन हेतु कार्यवाही
7. भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण
8. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु जागरूकता पैदा करना।

अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :- वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन प्रकरण तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रकरणों का निस्तारण एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी कार्य :- शिविरों में चिकित्सक नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे एवं चिकित्सकों द्वारा प्रारम्भिक जांच उपरान्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।
3. जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्य:- पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज, नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना, खराब पडे सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।
4. उर्जा विभाग से संबंधित कार्य :- लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना, आवासीय भवनों के उपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना तथा आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिंग है, तो उन्हें जारी करना।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :- (i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।
(ii) नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियाँ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।
6. राजस्व विभाग :- नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण किया जाना, राजकीय नजूल भवनों का चिन्हीकरण कर उसके उपयोग का निर्धारण व उन्हें संबंधित को आवंटन की कार्यवाही करना, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाना।
7. महिला एवं बाल विकास विभाग :- महिलाओं एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रचार सामग्री का वितरण, कुपोषण से मुक्ति संबंधी कार्य, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।